प्रेस विज्ञप्ति
30.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सिग्नेट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद और अन्य के विरुद्ध मामले में **30.02 करोड़ रुपये** मूल्य की अचल संपत्तियाँ वैध दावेदार अर्थात इंडियन बैंक को वापस कर दी हैं।

ईडी ने सीबीआई और एसीबी, पुणे द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि आरोपियों ने अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। जालसाजी, झूठे दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करने तथा आपराधिक कदाचार के माध्यम से उन्होंने आंध्रा बैंक, अंधेरी शाखा, मुंबई के साथ धोखाधड़ी की, जिससे बैंक को 72.99 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ तथा बिलों के अवैध छूट के संबंध में उन्हें गलत लाभ हुआ। उन्होंने इस धन का उपयोग विभिन्न संपत्तियों को खरीदने में किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अन्य बैंकों को भुगतान करके उक्त संपत्तियों पर उन बैंकों के मौजूदा शुल्कों या दावों को समाप्त कर दिया। इन संपत्तियों को पीएमएलए की धारा 5 के तहत कुर्क कर लिया गया और माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष दिनांक 19.08.2023 को अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की गई और मुकदमा चल रहा है।

इस बीच, दावेदार, इंडियन बैंक, जिसके पास अवैध रूप से अर्जित संपत्तियाँ गिरवी रखी गई थीं, ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, मुंबई में संपत्ति की वापसी के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिस पर ईडी ने सहमति दे दी है। माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, मुंबई ने उक्त संपत्तियों की वापसी के लिए दिनांक 19.07.2025 को एक आदेश पारित किया है।

वास्तविक दावेदारों को संपत्ति वापस दिलाने के व्यापक उद्देश्य से, ईडी ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाए, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति की वापसी हुई।